8/4/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Read

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वितीय

जयपुर।

प्रार्थना पत्र संख्याः 49 /2025

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजूलाल पुत्र श्री रामसहाय जाति बागडा ब्राहम्ण निवासी ग्राम आशावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान

–प्रार्थी –

बनाम

हरिनगर गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड जरिये संयोजक दिलिप सिंह राठौड चेला गणपत सिंह राठौड जाति राजपूत पता मकान संख्या 57, हनुमन्त नगर, ग्राम गोकुलपुरा जयपुर।

–अप्रार्थी–

प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा

महोदय,

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत हैः–

1 यह कि प्रार्थी ने उक्त उनवानी वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा का माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है जिसमें प्रार्थी को सफलता प्राप्त होने की पूरी पूरी आशा है।

2 यह कि प्रार्थी एवं अन्य सह खातेदारों की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 675/1 रकबा 0.0360 हैक्टेयर, वाके ग्राम श्योसिंहपुरा उर्फ कल्लावाला, पटवार हल्का खेडी गोकुलपुरा,

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र संख्या: 49 / 2025
निर्णय दिनांक : 08.04.2025

राजूलाल पुत्र श्री रामसहाय जाति बागडा ब्राहमण निवासी ग्राम आशावाला तहसील सागानेर जिला जयपुर राजस्थान

प्रार्थी

बनाम

हरिनगर गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड जरिये संयोजक दिलिप सिंह राठौड चेला गणपत सिंह राठौड जाति राजपूत पता मकान संख्या 57, हनुमन्त नगर, ग्राम गोकुलपुरा जयपुर।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
निर्णय

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र बावत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया जिसका सक्षिप्त विवरण प्रकार है कि प्रार्थी ने उक्त उनवानी वाद बावत् स्थायी निषेधाज्ञा का माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है जिसमें प्रार्थी को सफलता प्राप्त होने की पूरी पूरी आशा है। प्रार्थी एवं अन्य सह खातेदारों की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 675 / 1 रकबा 0.0360 हैक्टेयर, वाके ग्राम श्योसिंहपुरा उर्फ कल्लावाला, पटवार हल्का खेडी गोकुलपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र शिकारपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है। जिस पर प्रार्थी व अन्य सह खातेदार काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। अप्रार्थी गृह निर्माण सहकारी समिति है तथा अप्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 676 / 1 रकबा 0.4770 व खसरा नम्बर 674 / 1 रकबा 0.1590 हैक्टेयर प्रार्थी की भूमि के दोनों तरफ लगवा है जिससे अप्रार्थी की नियत में कुछ समय बेईमानी व फितुर आया हुआ है जो उक्त भूमि का सीमाज्ञान करवाये बिना प्रार्थी की भूमि को अपनी भूमि में मिलाकर आवासीय कॉलोनी विकसित करने व निर्माण करने पर आमादा है जिसका कि अप्रार्थी को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। इसी नियत से दिनांक 05 / 02 / 2025 को अप्रार्थी का संयोजक अपने साथ अपने साथ 5–7 अन्य व्यक्तियो को लेकर मौके पर प्रार्थी की उक्त भूमि पर बिना सीमा ज्ञान करवाये अवैध अतिक्रमण करने व अवैध रूप से आवासीय कॉलोनी विकसित करने व अवैध निर्माण करने हेतु मौके पर नाप चौक करने व प्रार्थी की भूमि को अपनी भूमि में मिलाने लगे तो प्रार्थी ने अप्रार्थी से उक्त अवैध व गैर कानूनी कृत्य करने हेतु मना किया तथा सीमाज्ञान करवाने हेतु कहा तो अप्रार्थी नाराज हो गया तथा प्रार्थी के साथ लडाई झगडा व मारपीट करने पर आमादा हो गया तथा प्रार्थी को धमकी दी कि वह शीघ्र ही मौका प्राप्त कर उक्त प्रार्थी की भूमि को अपनी भूमि में मिलाकर आवासीय कॉलोनी विकसित करेगा जिसका कि अप्रार्थी को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थी शान्ति प्रिय व न्याय में विश्वास रखनें वाला व्यक्ति है तथा अप्रार्थी धनबल व भुजबल में काफी शक्तिशाली है तथा ऊँची राजनैतिक पहुँच रखता है जिसका मुकाबला प्रार्थी बिना न्यायालय की सहायता करने में असमर्थ है तथा प्रार्थी के पास माननीय न्यायालय की शरण में आने के

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहा है जिससे प्रार्थी माननीय न्यायालय द्वारा अप्रार्थी को स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द करवाने का अधिकारी है कि अप्रार्थी प्रार्थना पत्र के मद नम्बर–2 मे वर्णित प्रार्थी की भूमि एवं प्रार्थना पत्र के मद नम्बर–3 में वर्णित अप्रार्थी की भूमि का पुख्ता सीमा निर्धारण करवाये बिना उक्त भूमि में मौके पर किसी प्रकार की कोई आवासीय कॉलोनी विकसित नही करे करावे, एवं कोई पक्का निर्माण नहीं करें करावे तथा प्रार्थी को प्रार्थना पत्र के मद नम्बर–2 में वर्णित उक्त भूमि के शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करने में किसी प्रकार की कोई बाधा व रूकावट उत्पन्न नहीं करे करावे तथा उक्त भूमि पर कोई अवैध अतिक्रमण नही करे करावे एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। यदि अप्रार्थीगण को ता–फैसला दावा अस्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द नहीं किया गया तो वे अपने उक्त मनसूबों में कामयाब हो जायेगें जिससे प्रार्थी को ऐसी अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी भॉति संभव नहीं हो पायेगी। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया केस भली भॉति साबित है एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष मे बखूबी सुदृढ साबित है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को ता–फैसला दावा अस्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द फरमाया जावे कि अप्रार्थी प्रार्थना पत्र के मद नम्बर–2 में वर्णित प्रार्थी की भूमि एवं प्रार्थना पत्र के मद नम्बर–3 में वर्णित अप्रार्थी की भूमि का पुख्ता सीमा निर्धारण करवाये बिना उक्त भूमि में मौके पर किसी प्रकार की कोई आवासीय कॉलोनी विकसित नहीं करे करावे, एवं कोई पक्का निर्माण नहीं करें करावे तथा प्रार्थी को प्रार्थना पत्र के मद नम्बर–2 में वर्णित उक्त भूमि के शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करने में किसी प्रकार की कोई बाधा व रूकावट उत्पन्न नहीं करे करावे तथा उक्त भूमि पर कोई अवैध अतिक्रमण नहीं करे करावे एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद डॉक रजिस्टर्ड सूचना उपस्थित नही। दिनांक 08.04.2025 को अप्रार्थी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करने के आदेश दिये गये।

बहस प्रार्थना पत्र प्रार्थी सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को ता–फैसला दावा अस्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द फरमाया जावे कि अप्रार्थी प्रार्थना पत्र के मद नम्बर–2 में वर्णित प्रार्थी की भूमि एवं प्रार्थना पत्र के मद नम्बर–3 में वर्णित अप्रार्थी की भूमि का पुख्ता सीमा निर्धारण करवाये बिना उक्त भूमि में मौके पर किसी प्रकार की कोई आवासीय कॉलोनी विकसित नहीं करे करावे, एवं कोई पक्का निर्माण नहीं करें करावे तथा प्रार्थी को प्रार्थना पत्र के मद नम्बर–2 में वर्णित उक्त भूमि के शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करने में किसी प्रकार की कोई बाधा व रूकावट उत्पन्न नहीं करे करावे तथा उक्त भूमि पर कोई अवैध अतिक्रमण नहीं करे करावे एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली मय दस्तावेजात का आद्योपान्त का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुचे है कि इस प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए न्यायालय के समक्ष निम्न तीन बिन्दू विचारणीय हैः– **(1) प्रथम दृष्टया मामला (2) सुविधा का संतुलन (3) अपूरणीय क्षति**

उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर द्वितीय (सांगानेर)

(1) प्रथम दृष्टया मामला :–वादग्रस्त भूमि के प्रार्थी व अप्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी व अप्रार्थी की अविभाजित संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसका आज तक कोई विधिवत विभाजन नही हुआ है। प्रार्थी द्वारा राजस्व रिकार्ड की जमावन्दीया प्रस्तुत की है जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी की संयुक्त खातेदारी दर्ज है, उक्त वादग्रस्त आराजी का विधिवत तकासमा आज दिनाक तक नही हुआ है सभी सहखातेदार अपनी सहुलियत के हिसाव से वादग्रस्त सम्पति पर संयुक्त रूप से काविज होकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला साबित करने में सफल रहा है, इसलिए उक्त बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में तय किया जाता है।

(2) सुविधा का संतुलन एवं (3) अपूरणीय क्षतिः– उक्त दोनों बिन्दूओं का सुविधा की दृष्टि से निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा राजस्व रिकार्ड की जमावन्दी प्रस्तुत की है जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी की संयुक्त खातेदारी दर्ज है, बिना विधिवत विभाजन करवाये किसी भी रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार द्वारा विशिष्ट भू–भाग पर निर्माण कार्य कर लिया गया या विशिष्ट भू–भाग का विक्रय कर दिया गया तो वाद की बहुलता बढेगी एवं प्रार्थी को ही अधिक असुविधा होगी तथा अपूर्णनीय क्षति भी प्रार्थी व अप्रार्थी को होगी।

उक्त तीनों बिन्दू प्रार्थी साबित करने में सफल रहा है इसलिए उसके पक्ष में तय किये गये है ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर दिनांक 18.02.2025 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला मूल वाद अप्रार्थी को पावन्द किया जाता है कि वाके ग्राम श्योसिंहपुरा उर्फ कल्लावाला, पटवार हल्का खेडी गोकुलपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र शिकारपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित आराजीयात खसरा नम्बर 675/1 रकबा 0.0360 हैक्टेयर, व वाके ग्राम श्योसिंहपुरा उर्फ कल्लावाला, पटवार हल्का खेडी गोकुलपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र शिकारपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित अप्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 676/1 रकबा 0.4770 व खसरा नम्बर 674/1 रकबा 0.1590 हैक्टेयर प्रार्थी की भूमि के दोनों तरफ लगवा भूमि में पुख्ता सीमानिर्धारण करवाने बिना मौके पर किसी भी प्रकार की आवासीय कॉलोनी विकसित ना करे। प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि के शांतिपूर्ण उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की बाधा व रूकावट उत्पन्न ना करे। वादग्रस्त भूमि में मौके की यथास्थिति बनाये रखे, ना ही किसी प्रकार कच्चा–पक्का निर्माण कार्य करें। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम किया जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.04.2025 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)
जयपुर